एन पी टी आई

प्रावीण्यं परोपवृत्तिश्च

राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान
(भारत सरकार की एक सोसाइटी)

संगम ज्ञापन
और
नियम एवं विनियम

एनपीटीआई परिसर, सैक्टर-33, फरीदाबाद

संगम ज्ञापन

1. सोसाइटी का नाम **राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान** है।
2. सोसाइटी का कार्यालय **एनपीटीआई परिसर, सैक्टर-33, फरीदाबाद (हरियाणा)** में स्थित है।
3. जिन उद्देश्यों के लिए सोसाइटी की स्थापना की गई है, वे हैं:

तकनीकी

मुख्य उद्देश्य

i) प्रशिक्षण हेतु एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में इन क्षेत्रों में काम करना - (क) विद्युत केन्द्रों का संचालन तथा रखरखाव; और (ख) पारेषण, उप-पारेषण तथा वितरण सहित विद्युत ऊर्जा प्रणालियों के अन्य सभी पहलू।

ii) देश में विद्युत के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रारंभ तथा समन्वित करने के लिए एक शीर्षस्थ निकाय के रूप में कार्य करना।

iii) विद्युत क्षेत्र के इंजीनियरों, ऑपरेटरों, तकनीशियनों तथा अन्य कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना एवं उन्हें चलाना।

सहायक उद्देश्य

iv) देश में विद्युत क्षेत्र की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को जानना और उनका मूल्यांकन करना।

v) अपने प्रशिक्षण संस्थानों सहित विभिन्न निकायों की प्रशिक्षण गतिविधियों का अन्य तकनीकी संस्थानों एवं उनसे जुड़े हुए संस्थानों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ समन्वय करना।

vi) विभिन्न स्तरों के कार्मिकों के लिए योग्यता और प्रशिक्षण के संबंध में मानकों की स्थापना करना।

vii) सक्षमता को प्रमाणित करने के उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन प्राधिकरण के रूप में कार्य करना और/या विद्युत प्रदाय उद्योग में उचित रूप से प्रशिक्षित कार्मिकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए भाग लेना।

viii) विद्युत उत्पादन और पारेषण प्रणालियों के संचालन, रखरखाव और प्रबंधन के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास अध्ययनों को आरंभ, संचालित और समन्वित करना तथा विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तैयार एवं संचालित करना।

ix) प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं, प्रायोगिक प्रेषण लाइनों, उपकेन्द्रों की स्थापना, रखरखाव एवं प्रबंध तथा इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक सुविधाओं को जुटाना।

x) विद्युत उत्पादन तथा वितरण के क्षेत्र में सूचना एकत्रित करना और प्रलेखन का रखरखाव करना।

xi) सोसाइटी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामग्री, पेपर, पत्रिकाएं अथवा रिपोर्ट एकत्रित करना, तैयार करना तथा उनको संपादित, मुद्रित और प्रकाशित करना।

xii) सम्मेलनों तथा कार्यशालाओं का आयोजन करना।

xiii) विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रदर्शनों, नियत कार्यों, प्रशिक्षण सामग्री को तैयार करने अथवा तकनीकी मार्गदर्शन के लिए उपक्रम अथवा संस्थान या व्यक्ति के साथ करार तथा उन्हें निधियां उपलब्ध करवाना।

प्रशासनिक

xiv) सोसाइटी के अंतर्गत प्रशासनिक, तकनीकी, लिपिकीय और अन्य पदों का सृजन करना तथा संस्था के नियमों और विनियमों के अनुसार उन पर नियुक्तियां करना।

xv) सोसाइटी के कार्यों के संचालन के लिए नियम, विनियम और उपनियम बनाना और भारत सरकार की मंजूरी के साथ समय-समय पर उनमें संसोधन करना, बदलाव करना या निरस्त करना।

xvi) कार्मिकों के प्रशिक्षण एवं कल्याण के लिए उचित उपाय करना।

xvii) सोसाइटी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए पेशेवर या तकनीकी सलाहकारों, परामर्शदाताओं या कामगारों को रखना या नियोजित करना और उनके लिए उचित मानदेय, शुल्क या पारिश्रमिकी अदा करना। ।

xviii) अनुसंधान और संदर्भ पुस्तकालय/पुस्तकालयों को बनाए रखना।

xix) सोसाइटी की ओर से समझौता वार्ता करना और अनुबंधों/संविदाओं पर कार्य करना और ऐसे अनुबंधों में बदलाव करना या उन्हें निरस्त करना।

xx) अनुसंधान छात्रवृत्ति फेलोशिप की स्थापना कर पुरस्कार प्रदान करना।

xxi) ऐसे सभी अन्य वैध कार्य, व्यवहार या चीजें करना जो किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक या अनुकूल हों।

वित्तीय

xxii) सोसाइटी के उद्देश्यों को बढ़ावा देने की दृष्टि से भारत सरकार तथा भारतीय या विदेशी व अन्य स्रोतों से अनुदान तथा अन्य सहायता स्वीकार करना अथवा उनके साथ करार स्थापित करना, बशर्ते कि विदेशी संसाधनों के संबंध में भारत सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली गई हो।

xxiii) उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने और उपयोगकर्ता संगठनों या व्यक्तियों को अन्य सेवाएं या सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुल्क लेना।

xxiv) सोसाइटी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत में स्थित कोई भूमि, भवन, उपस्कर तथा चल या अचल संपत्ति को उपहार या विक्रय या विनिमय द्वारा या पट्टे अथवा भाड़े पर या अन्यथा किसी भी प्रकार से अर्जित करना तथा सोसाइटी के लिए आवश्यक किसी भवन का निर्माण करना अथवा उसमें फेरबदल करना।

xxv) सोसाइटी से सम्बद्ध किसी भी संपत्ति को बेचना या पट्टे पर देना या अंतरित करना या विनिमय करना या बंधक रखना या उसका निपटान करना या अन्यथा उसका सौदा करना, बशर्ते कि भारत सरकार की पूर्वानुमति लिखित रूप में प्राप्त कर ली गई हो।

xxvi) प्रतिभूति के साथ या उसके बिना या किसी गिरवी शुल्क या दृष्टिबंधक या सोसाइटी से संबंधित सभी या किसी अचल या चल संपत्तियों की गिरवी की सुरक्षा पर या किसी अन्य तरीके से धन उधार लेना और जुटाना, बशर्ते कि ऋण के लिए भारत सरकार की लिखित पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली गई हो।

xxvii) सोसाइटी की जिन निधियों अथवा धन की तत्काल आवश्यक न हो उन्हें प्रतिभूतियों में अथवा शाषी परिषद द्वारा समय-समय पर सुनिश्चित किए गए तरीके से निवेश करना।

xxviii) चेक काटना, नोटों अथवा अन्य परक्राम्य लिखितों को तैयार करना, स्वीकार करना, पृष्ठांकित करना तथा उन पर बट्टा देना।

4. सोसाइटी के कार्यों का प्रबंध सोसाइटी के नियमों एवं विनियमों के अनुसार शाषी परिषद को सौंपा गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं : -

i)	सचिव, विद्युत मंत्रालय	अध्यक्ष
ii)	अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	उपाध्यक्ष
iii)	सदस्य (जीओ एंड डी), सीईए	सदस्य
iv)	संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण), विद्युत मंत्रालय	सदस्य
v)	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, विद्युत मंत्रालय	सदस्य

vi) राज्य विद्युत बोर्डों से पांच प्रतिनिधि - रोटेशन के आधार पर प्रत्येक ग्रामीण विद्युतीकरण बोर्ड (REB) से एक-एक — सदस्य

vii) एनटीपीसी के प्रतिनिधि — सदस्य

viii) पीजीसीआईएल के प्रतिनिधि — सदस्य

ix) एनएचपीसी के प्रतिनिधि — सदस्य

x) भारत सरकार द्वारा नामित छह सदस्य, जिनमें तकनीकी शिक्षा, प्रबंधन, विद्युत उपस्कर विनिर्माण उद्योग, विद्युत विकास, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत एवं ऊर्जा संरक्षण/ग्रामीण विद्युतीकरण क्षेत्र में से प्रत्येक क्षेत्र से एक-एक प्रतिष्ठित सदस्य — सदस्य

xi) महानिदेशक, एनपीटीआई — सदस्य-सचिव

5. सोसाइटी, शाषी परिषद और प्रबंध परिषद के क्रियाकलापों को मंजूरी देने और निर्णय लेने के लिए सोसाइटी जब भी आवश्यक समझेगी, लेकिन वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

6. सोसाइटी की आय तथा संपत्ति का उपयोग चाहे वह जैसे भी प्राप्त की गई हो, उसके ऐसे उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा, जो इस संगम ज्ञापन में बताए गए हों, बशर्ते कि व्यय के मामले में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर लगाई गई सीमाओं का पालन हो। सोसाइटी की आय तथा संपत्ति का कोई भी भाग, लाभांश बोनस या अन्य किसी भी प्रकार से लाभ के रूप में ऐसे व्यक्तियों को जो किसी समय सोसाइटी के सदस्य हों या रह चुके हों, अथवा उनमें से किसी को अथवा उनके माध्यम से अथवा उनमें से किसी के माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अदा अथवा अंतरित नहीं किया जाएगा, परंतु इसमें उल्लिखित किसी बात से उसके किसी सदस्य को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा सोसाइटी के प्रति की गई किसी सेवा के बदले पारिश्रमिक के रूप में या सद्भावपूर्वक किए जाने वाले भुगतान पर रोक नहीं लगेगी।

7. यदि सोसाइटी के परिसमापन अथवा विघटन पर इसके संपूर्ण ऋणों और देयताओं को चुकाने के बाद किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति बचेगी तो वह सोसाइटी के सदस्यों को अथवा उनमें से किसी भी सदस्य को नहीं दी जाएगी अथवा उनके बीच बांटी नहीं जाएगी, बल्कि उसका निपटान उस प्रकार से किया जाएगा जैसा कि भारत सरकार निर्धारित करेगी।

8. राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान की शासी परिषद के सदस्यों के नाम, पदनाम और पते, जिन्हें इसके कार्यों का प्रबंधन सौंपा गया है, इस प्रकार हैं : -

क्र.सं.	**नाम, पदनाम एवं पता**
1.	श्री आर. वासुदेवन, सचिव, विद्युत मंत्रालय, श्रमशक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली
2.	श्री एम.आई. बेग. अध्यक्ष, सीईए, सेवा भवन, आर.के.पुरम, नई दिल्ली
3.	श्री एच.सी. मित्तल, सदस्य (संचालन), सीईए, सेवा भवन, आर.के.पुरम, नई दिल्ली
4.	श्री वी.के. दीवान, संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) विद्युत मंत्रालय, श्रमशक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली
5.	श्री टी. सेथुमाधवन, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, विद्युत मंत्रालय, श्रमशक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली
6.	श्री एस.के. दासगुप्ता, अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड, 48/1, डायमंड हार्बर रोड, कोलकाता
7.	श्री वी. बलराम रेड्डी, अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड,

विद्युत सौध, हैदराबाद

8. श्री एच.एस. बवेजा, अध्यक्ष, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड,
द मॉल, पटियाला

9. श्री राजिंदर सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनटीपीसी,
स्कोप बिल्डिंग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली

10. श्री पी.एल. नेने, अध्यक्ष, मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड,
पोस्ट बॉक्स नं.34, रामपुर, जबलपुर

11. श्री आर. गुप्ता, सीएमडी, नैवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन,
दक्षिण आरकोट, जिला- नैवेली, तमिलनाडु

12. श्री ए.गविसिद्दप्पा, सीएमडी, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल हाउस, एशियाई खेल सिरी फोर्ट, नई दिल्ली

13. प्रो. एस.के. श्रीवास्तव, संयुक्त सलाहकार (तकनीकी शिक्षा)
शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

14. श्री के.वी. चौबल, प्रबंध निदेशक
मैसर्स इंडेज इंडिया लिमिटेड,
इंडेज हाउस, 82, डॉ. ए. बी. रोड, वर्ली, मुम्बई

15. श्री वी.के. मुटरेजा, महानिदेशक, पावर इंजीनियर्स ट्रेनिंग सोसाइटी/नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 207-212 ए, चिरंजीव टॉवर, 43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली

9. हम, विभिन्न व्यक्ति, जिनके नाम, पदनाम और पते इसमें दिए गए हैं, सोसाइटी के इस ज्ञापन के अनुसरण में एक सोसाइटी के रूप में गठित होना चाहते हैं : -

क्र.सं.	**नाम, पदनाम एवं पता**	**हस्ताक्षर**
1.	श्री आर. वासुदेवन, सचिव, विद्युत मंत्रालय, श्रमशक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली	हस्ता0/-
2.	श्री एम.आई. बेग. अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, सेवा भवन, आर.के.पुरम, नई दिल्ली	हस्ता0/-
3.	श्री एच.सी. मित्तल, सदस्य (संचालन), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, सेवा भवन, आर.के.पुरम, नई दिल्ली	हस्ता0/-
4.	श्री वी.के. दीवान, संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) विद्युत मंत्रालय, श्रमशक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली	हस्ता0/-
5.	श्री टी. सेथुमाधवन, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, विद्युत मंत्रालय, श्रमशक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली	हस्ता0/-
6.	श्री एस.के. दासगुप्ता, अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड, 48/1, डायमंड हार्बर रोड, कोलकाता	हस्ता0/-
7.	श्री वी. बलराम रेड्डी, अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, विद्युत सौध, हैदराबाद	हस्ता0/-
8.	श्री एच.एस. बवेजा, अध्यक्ष, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड, द मॉल, पटियाला	हस्ता0/-
9.	श्री राजिंदर सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनटीपीसी, स्कोप बिल्डिंग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली	हस्ता0/-
10.	श्री पी.एल. नेने, अध्यक्ष, मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड, पोस्ट बॉक्स नं.34, रामपुर, जबलपुर	हस्ता0/-
11.	श्री आर. गुप्ता, सीएमडी, नैवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, दक्षिण आरकोट, जिला- नैवेली, तमिलनाडु	हस्ता0/-

12.	श्री ए.गविसिद्दप्पा, सीएमडी, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल हाउस, एशियाई खेल गांव, सिरी फोर्ट, नई दिल्ली	हस्ता0/-
13.	प्रो. एस.के. श्रीवास्तव, संयुक्त सलाहकार (तकनीकी शिक्षा), शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	हस्ता0/-
14.	श्री के.वी. चौबल, प्रबंध निदेशक मैसर्स इंडेज इंडिया लिमिटेड, इंडेज हाउस, 82, डॉ. ए. बी. रोड, वर्ली, मुम्बई	हस्ता0/-
15.	श्री वी.के. मुटरेजा, महानिदेशक, पावर इंजीनियर्स ट्रेनिंग सोसाइटी/नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 207-212 ए, चिरंजीव टॉवर, 43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली	हस्ता0/-

<u>नियम तथा विनियम</u>

1. यह नियम तथा विनियम "राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान के नियम तथा विनियम" के नाम से जाना जाएगा।

परिभाषाएँ

2. इन नियमों और विनियमों के अंतर्गत -

(क) "सोसाइटी" का तात्पर्य राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान से है।

(ख) "अध्यक्ष" का तात्पर्य सोसाइटी के अध्यक्ष से है।

(ग) "शासी परिषद" अर्थात्, वह निकाय, जो नियम 21 के अनुसार सोसाइटी की ओर से शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(घ) "महानिदेशक" से तात्पर्य महानिदेशक, जिसे नियम '3' के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सोसाइटी का पूर्णकालिक सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है।

(ङ) "प्रशिक्षण संस्थान" का अर्थ है नियम 44 (क) के अंतर्गत सोसाइटी के प्रशिक्षण संस्थान।

(च) "प्रबंध परिषद" का मतलब है वह निकाय, जो नियम 44 (ख) के अनुसार प्रशिक्षण संस्थानों के मामलों का प्रबंधन करेगा।

(छ) "कार्यकारी निदेशक" अर्थात् सोसाइटी के क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों का प्रधान निदेशक तथा "डीन इंचार्ज कैम्पस" अर्थात् उन्नत प्रबंधन एवं विद्युत अध्ययन केन्द्र का प्रमुख।

(ज) "वर्ष" अर्थात् ऐसा वित्त वर्ष अभिप्रेत है जो किसी वर्ष के अप्रैल के पहले दिन से प्रारंभ होता है तथा उसके अगले कैलेंडर वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है।

सोसाइटी का गठन

3. सोसाइटी में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे : -

i)	सचिव, विद्युत मंत्रालय	अध्यक्ष
ii)	अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण	उपाध्यक्ष
iii)	सोसाइटी की शासी परिषद के सभी सदस्य	सदस्य
iv)	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के सभी सदस्य	सदस्य
v)	भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के सभी विद्युत आपूर्ति उपक्रमों/ यूटिलिटीज के अध्यक्ष	सदस्य
vi)	अध्यक्ष, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड/अध्यक्ष, एबीएल, मुम्बई	सदस्य
vii)	महानिदेशक, केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान	सदस्य
viii)	महानिदेशक, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान	सदस्य-सचिव

4. सोसाइटी एक सदस्य नामावली रखेगी जिसमें उनके पते तथा व्यवसाय संबंधी सूचना होगी तथा प्रत्येक सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेगा।

5. यदि सोसाइटी का कोई सदस्य अपना पता बदलता है, तो वह एक महीने के भीतर अपने परिवर्तित नए पते की सूचना सदस्य सचिव को देगा तथा तदनुसार सदस्य नामावली में परिवर्तन कर दिया जाएगा, लेकिन यदि वह अपने नए पते की सूचना नहीं देगा तो उसका पता वही माना जाएगा, जो सदस्य नामावली में दिया हुआ है।

नियुक्ति की अवधि

6. जहां कोई व्यक्ति धारण किए गए अपने पद या नियुक्ति के कारण सोसाइटी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, वहां उस पद या नियुक्ति के समाप्त होने पर सोसाइटी में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

7. यदि सोसाइटी का कोई सदस्य सोसाइटी की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो तथा उस बैठक के लिए अपनी एवज में किसी व्यक्ति को नामित करे तो उस बैठक का अध्यक्ष अपने विवेकानुसार, अनुपस्थित सदस्य की ओर से सोसाइटी की बैठक के लिए नामित किए गए एवजी व्यक्ति को भाग लेने की अनुमति दे सकता है। उस एवजी व्यक्ति को उस बैठक में वोट देने का अधिकार होगा।

सोसाइटी के प्राधिकारी

8. सोसाइटी के प्राधिकारी निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :

   i) सोसाइटी के अध्यक्ष

   ii) शासी परिषद

   iii) सोसाइटी के महानिदेशक

   iv) सोसाइटी के संस्थानों की प्रबंधन परिषद

   v) सोसाइटी के क्षेत्रीय संस्थानों के कार्यकारी निदेशक और उन्नत प्रबंधन एवं विद्युत अध्ययन केंद्र के प्रमुख के रूप में प्रधान निदेशक।

सोसाइटी के अधिकारी

9. (क सोसाइटी के महानिदेशक सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे और उन्हें ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सहायता दी जाएगी, जिन्हें सोसाइटी अपने कार्यों के संतोषजनक निष्पादन के लिए आवश्यक समझे।

   (ख) कार्यकारी निदेशक सोसाइटी के प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुख होंगे। प्रधान निदेशक के रूप में (रोटेशन पर) नामित डीन में से एक उन्नत प्रबंधन एवं विद्युत अध्ययन केंद्र के प्रमुख होंगे।

   (ग) सोसाइटी के महानिदेशक और डीन की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी (मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन से)। कार्यकारी निदेशकों और वरिष्ठ सलाहकारों की नियुक्ति एनपीटीआई की शाषी परिषद के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

सोसाइटी का कार्यालय

10. सोसाइटी का कार्यालय एनपीटीआई कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-33, फरीदाबाद में स्थित होगा।

सोसाइटी की कार्यवाहियां

11. सोसाइटी के लिए स्थापित उद्देश्यों को पूरा करने के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए सोसाइटी वार्षिक रूप से बैठक करेगी तथा शासी परिषद को आवश्यक कदमों की सलाह देगी।

i) सोसाइटी की वार्षिक सामान्य बैठक के लिए तारीख, समय तथा स्थान अध्यक्ष निर्धारित करेगा। इन वार्षिक बैठकों में महानिदेशक विचार-विमर्श तथा अनुमोदन के लिए वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों के मसौदे प्रस्तुत करेंगे। उसके पश्चात, वह रिपोर्ट ऐसे संशोधनों के साथ जो आवश्यक समझे जाएं, सोसाइटी द्वारा स्वीकार कर पारित की जाएंगी।

ii) इन नियमों के प्रावधानों के सिवाय, सोसाइटी की सभी बैठकें महानिदेशक या उनके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा जारी नोटिस द्वारा बुलाई जाएंगी।

12. अध्यक्ष जब भी ठीक समझें, सोसाइटी की विशेष बैठक बुला सकते हैं।

13. सोसाइटी की बैठक बुलाने के प्रत्येक नोटिस में बैठक की तिथि, समय और स्थान का उल्लेख होगा तथा बैठक के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम पंद्रह दिन पहले इसकी सूचना सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जाएगी।

14. सोसाइटी की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। यदि बैठक में अध्यक्ष उपस्थिति न हो तो सोसाइटी के उपाध्यक्ष उनका स्थान लेंगे। यदि उपाध्यक्ष भी उपस्थिति न हो तो सोसाइटी के सदस्य उपस्थित सदस्यों में से किसी एक को बैठक के अध्यक्ष के रूप में चुनेंगे।

15. अध्यक्ष पद रिक्त रहने के दौरान सोसाइटी की कोई बैठक आयोजित नहीं की जाएगी।

16. सोसाइटी के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित पांच सदस्यों से सोसाइटी की प्रत्येक बैठक का कोरम बनेगा।

17. सोसाइटी की बैठकों में उठाए गए सभी प्रश्न बहुमत से तय किए जाएंगे।

18. सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होगा।

19. मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

20. सोसाइटी के किसी भी सदस्य को व्यक्तिगत रूप से दी गई सूचना अथवा सदस्य नामावली में दर्शाया गया पता लिखकर लिफाफे में पंजीकृत डाक से भेजी गई सूचना विधिवत भेजी गई सूचना समझी जाएगी।

शासी परिषद

21. (क) सोसाइटी के कार्यों का प्रबंधन, प्रशासन, निदेशन और नियंत्रण शासी परिषद द्वारा सोसाइटी के नियमों, विनियमों तथा उप-विधियों के अनुसार उप-नियम (ख) में उल्लेखानुसार किया जाएगा।

(ख) 1860 के अधिनियम XXI के उद्देश्य के लिए सोसाइटी की शासी परिषद में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे:

i)	सचिव, विद्युत मंत्रालय	अध्यक्ष
ii)	अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	उपाध्यक्ष
iii)	अपर सचिव / विशेष सचिव (टी एंड आर प्रभाग के प्रभारी), विद्युत मंत्रालय	सदस्य
iv)	सदस्य (जीओ एंड डी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण	सदस्य
v)	आर्थिक सलाहकार/संयुक्त सचिव (टी एंड आर प्रभाग के प्रभारी), विद्युत मंत्रालय	सदस्य
vi)	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, विद्युत मंत्रालय	सदस्य
vii)	मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के पद से कम के नहीं होने चाहिए	सदस्य

viii)	पांच प्रतिनिधि - रोटेशनल आधार पर प्रत्येक विद्युत क्षेत्र से एक प्रतिनिधि	सदस्य
ix)	एनटीपीसी के प्रतिनिधि	सदस्य
x)	पीजीसीआईएल के प्रतिनिधि	सदस्य
xi)	एनएचपीसी के प्रतिनिधि	सदस्य
xii)	भारत सरकार द्वारा नामित 6 सदस्य, जिनमें तकनीकी शिक्षा, प्रबंधन, विद्युत उपस्कर निर्माण उद्योग, विद्युत विकास, अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत एवं ऊर्जा संरक्षण/ ग्रामीण विद्युतीकरण क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति	सदस्य
xiii)	महानिदेशक, एनपीटीआई	सदस्य-सचिव

(ग) खंड 21 (ख) (viii) और खंड 21 (ख) (xii) में निर्धारित क्रमशः 'विद्युत क्षेत्रों के प्रतिनिधियों' और 'प्रतिष्ठित व्यक्तियों' की श्रेणियों में सदस्यों को भारत सरकार द्वारा तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए नामित किया जाएगा।

22. शासी परिषद की सदस्यता में कोई रिक्ति उस प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति या नाम निर्देशन करके भरी जाएगी जो उक्त नियुक्ति या नाम निर्देश करने का हकदार है।

23. शाषी परिषद की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सोसाइटी के सदस्य उपस्थित सदस्यों में से बैठक के अध्यक्ष के रूप में किसी एक सदस्य को चुनेंगे।

24. शाषी परिषद की किसी भी बैठक में शाषी परिषद के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित पांच सदस्यों का कोरम बनेगा।

25. शासी परिषद की प्रत्येक बैठक के संबंध में प्रत्येक सदस्य को कम से कम पंद्रह दिन पहले स्पष्ट सूचना दी जाएगी।

26. शासी परिषद की बैठक यथासंभव अधिक से अधिक बार होगी। प्रत्येक तीन महीने में शासी परिषद की कम से कम एक बार बैठक अवश्य होगी।

27. महानिदेशक, अध्यक्ष के परामर्श से किसी भी समय शासी परिषद की बैठक बुलाएंगे।

28. शासी परिषद के प्रत्येक सदस्य का, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल है, एक वोट होगा तथा यदि किसी प्रश्न पर मतों की संख्या बराबर हो तो अध्यक्ष अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले किसी भी सदस्य का मत निर्णायक होगा।

29. वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि को यह कहने का अधिकार होगा कि ऐसा कोई भी मामला वित्त मंत्रालय को भेजा जाए, जो शाषी परिषद की वित्तीय शक्तियों के बाहर है।

30. संगम के ज्ञापन में बताए गए सोसाइटी के उद्देश्यों को पूरा करना शाषी परिषद का कार्य होगा।

31. भारत सरकार द्वारा समय-समय पर खर्च के संबंध में लगाई गई सीमाओं के अधीन शासी परिषद् सोसाइटी के सभी कार्यों और निधियों का प्रबंधन करेगी तथा उसे सोसाइटी की सभी शक्तियों का प्रयोग करने का प्राधिकार होगा।

32. शासी परिषद भारत सरकार के अनुमोदन से, सोसाइटी प्रशासन तथा प्रबंधन के कार्यों के लिए ऐसी उपविधियां बनाने, उनमें संशोधित करने अथवा उनका निरसन करने के लिए सक्षम है जो इन नियमों से संगत न हो।

33. (क) इन नियमों तथा उप-विधियों के अधीन शासी परिषद, सोसाइटी का कार्य संचालित करने के लिए वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक तथा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के पद सृजित करने और उन्हें नियुक्त करने के लिए सक्षम है।

(ख) सोसाइटी में कोई भी ऐसा पद, जिसका अधिकतम वेतनमान 4500/- रुपये प्रतिमाह से अधिक हो, भारत सरकार के अनुमोदन के बिना सृजित नहीं किया जाएगा।

(ग) पदों का सृजन बजट प्रावधानों तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुपालन के अधीन होगा।

(घ) सोसाइटी का कोई भी पद तब तक सृजित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्तावित सृजित पद का वेतनमान भारत सरकार द्वारा भारत सरकार के अधीन समान प्रकृति के किसी पद के लिए अनुमोदित न कर दिया गया हो।

(ङ) सोसाइटी में नियुक्ति सोसाइटी के उपनियमों के अनुसार की जाएगी, जब कि सोसाइटी के महानिदेशक और डीन के पद पर नियुक्तियां भारत सरकार द्वारा (मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन से) की जाएंगी।

(च) शासी परिषद को महानिदेशक, जो संस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, के पद को छोड़कर सोसाइटी के सभी पदों के लिए भर्ती नियम (वरिष्ठता और पदोन्नति सहित) बनाने और संशोधित करने की पूरी शक्ति होगी, जब तक कि ये नियम/संशोधन भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप हों।

(छ) शासी परिषद को सोसाइटी की सभी कार्मिक नीतियों के निर्माण में पूर्ण शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जिनमें स्वास्थ्य, अनुशासन, प्रशिक्षण, सेवा की शर्तें आदि से संबंधित मामले शामिल होंगे।

34. शासी परिषद को भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा अन्य सार्वजनिक या निजी संगठनों अथवा व्यक्तियों के साथ पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर सोसाइटी के दान, सहायता अनुदान, चंदा या उपहार प्राप्त करने और स्वीकार करने के लिए व्यवस्था करने की शक्ति होगी, बशर्ते कि ऐसे सहायता अनुदान, दान या उपहार की शर्तें, यदि कोई हों, सोसाइटी की प्रकृति या उद्देश्यों या इन नियमों के प्रावधानों के साथ असंगत या विरोधाभासी नहीं हों।

35. (क) शासी परिषद को पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, संग्रहालयों, संग्रहों, अचल संपत्तियों, दानों या अन्य निधियों को सरकार तथा अन्य सार्वजनिक निकायों या निजी व्यक्तियों से क्रय द्वारा, उपहार या अन्य रूप से जो इन्हें हस्तांतरित करने के इच्छुक हैं, साथ ही ऐसे किसी संबद्ध दायित्व और अनुबंध को भी अपने अधीन करने और प्राप्त करने का अधिकार होगा, जो संगठन के ज्ञापन और नियमों के प्रावधानों में वर्णित उद्देश्यों के विरुद्ध न हों।

(ख) सभी चल और अचल संपत्तियां शासी परिषद में निहित होंगी। शासी परिषद को नए प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना या मौजूदा प्रशिक्षण संस्थानों में परिवर्तन अथवा सोसाइटी के उद्देश्यों के अनुसरण में किए जाने वाले किसी अन्य कार्य से संबंधित मामले में सोसाइटी की ओर से अनुबंध निष्पादित करने का अधिकार होगा।

शासी परिषद, प्रस्ताव द्वारा सोसाइटी के अध्यक्ष, महानिदेशक, प्रबंधन परिषद या किसी अन्य अधिकारी को जैसै वे उचित समझें व्यवसाय के संचालन के लिए अपनी शक्तियों में से इस शर्त के अधीन ऐसी शक्तियां सौंप सकती है कि इस नियम द्वारा सौंपी गई शक्तियों के तहत अध्यक्ष, महानिदेशक, प्रबंधन परिषद या सोसाइटी के किसी अन्य अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई शासी परिषद की अगली बैठक में पुष्टि के लिए रिपोर्ट की जाए।

शासी परिषद निम्नलिखित अधिकारियों से मिलकर बनी स्थायी समिति को भी अधिकृत कर सकती है-

i)	अपर सचिव / विशेष सचिव (टी एंड आर प्रभाग के प्रभारी), विद्युत मंत्रालय	अध्यक्ष
ii)	आर्थिक सलाहकार / संयुक्त सचिव	सदस्य

	(टी एंड आर प्रभाग के प्रभारी), विद्युत मंत्रालय	
iii)	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, विद्युत मंत्रालय	सदस्य
iv)	मुख्य अभियंता (मानव संसाधन विकास), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	सदस्य
v)	महानिदेशक, एनपीटीआई	सदस्य-संयोजक

उन मामलों के संबंध में शासी परिषद की ओर से जांच करना तथा निर्णय लेना जो अध्यक्ष, महानिदेशक, प्रबंधन परिषद या सोसाइटी के किसी अन्य अधिकारी को सौंपी गई शक्तियों के अंतर्गत नहीं आते, इस शर्त के अधीन कि ऐसे निर्णयों को शासी परिषद को उसकी अगली बैठक में उसकी पुष्टि के लिए सूचित किया जाएगा।

शासी परिषद के अध्यक्ष की शक्तियां

36. अध्यक्ष को सोसाइटी के कार्य और प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करने या सोसाइटी के मामलों में अन्य जांच करने तथा आवश्यकतानुसार आदेश पारित करने का अधिकार होगा।

37. अध्यक्ष वित्तीय व्यय से संबंधित कोई भी निर्णय लेने से पहले वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि से परामर्श करेगा।

केन्द्र सरकार के निर्देश

38. (क) अपने कार्यों के निर्वहन में सोसाइटी नीति के प्रश्न पर सरकार द्वारा दिए गए अनुदेशों द्वारा निर्देशित होगी।

(ख) यदि केन्द्र सरकार और सोसाइटी के बीच इस बात पर कोई विवाद उत्पन्न होता है कि कोई प्रश्न नीति का प्रश्न है या नहीं, तो भारत सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

(ग) वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों और एनपीटीआई के शासी परिषद के अध्यक्ष के बीच भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग की प्रत्यायोजित शक्तियों से परे वित्तीय मामलों पर असहमति की स्थिति में, मामले को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के मंत्री और वित्त मंत्री को निर्णय के लिए भेजा जा सकता है।

महानिदेशक

39. सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में महानिदेशक, शासी परिषद के निर्देश और मार्गदर्शन के अंतर्गत सोसाइटी के मामलों के उचित प्रशासन के लिए जिम्मेदार होंगे।

40. महानिदेशक सोसाइटी के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य निर्धारित करेंगे और ऐसे पर्यवेक्षण और अनुशासनात्मक नियंत्रण का प्रयोग करेंगे, जो इन नियमों और उपनियमों के अधीन आवश्यक हो सकता है।

41. महानिदेशक सोसाइटी के अंतर्गत सभी प्रशिक्षण और अन्य गतिविधियों का समन्वयन और सामान्य पर्यवेक्षण करेंगे।।

42. महानिदेशक शासी परिषद के अध्यक्ष के निर्देश, अधीक्षण और नियंत्रण के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

43. महानिदेशक अभियोग चला सकते हैं और उन पर भी अभियोग चलाया जा सकेगा, जहां भी आवश्यक हो, वे न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होंगे तथा वे सभी कानूनी मुद्दों पर विचार करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान

44. (क) सोसाइटी ऐसे प्रशिक्षण संस्थान चलाएगी जो सरकार द्वारा अन्य निकायों द्वारा उसे हस्तांतरित किए गए हैं, साथ ही वे भी जिन्हें वह अपने उद्देश्यों के अनुसरण में स्थापित करना आवश्यक समझे।

(ख) प्रशिक्षण संस्थानों के कार्यों का प्रबंधन, प्रशासन, निर्देशन और नियंत्रण संस्थान की प्रबंधन परिषद द्वारा सोसाइटी के नियमों एवं विनियमों तथा उपनियमों के अनुसार किया जाएगा।

(ग) प्रत्येक संस्थान की प्रबंधन परिषद की संरचना सोसाइटी की शासी परिषद द्वारा निर्धारित की जाएगी।

45. प्रबंध परिषद के कामकाज के नियम सोसाइटी की शासी परिषद द्वारा तैयार किए जाएंगे।

प्रबंध परिषद के कार्य एवं शक्तियां

46. संस्था के ज्ञापन में उल्लिखित संस्थान के उद्देश्यों को पूरा करना प्रबंधन परिषद का कार्य होगा।

47. प्रबन्ध परिषद, शासी परिषद द्वारा संस्थान को आबंटित सभी मामलों और निधियों पर नियंत्रण रखने के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगी तथा उसे शासी परिषद द्वारा सौंपी गई सभी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार होगा, तथापि यह व्यय के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर लगाई गई सीमाओं के अधीन होगा।

48. प्रबंध परिषद को संस्थान के कार्यों के प्रशासन और प्रबंधन के लिए इन नियमों से असंगत न होने वाले किसी भी संशोधन या उप-नियमों के प्रवर्तन का प्रस्ताव शासी परिषद के समक्ष रखने की शक्ति होगी।

49. शासी परिषद द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन, प्रबंध परिषद को पदों के सृजन की सिफारिश करने तथा संस्थान के कार्यों के संचालन के लिए तकनीकी प्रशासनिक और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करने तथा बजट प्रावधान के अधीन उनके पारिश्रमिकी की राशि निर्धारित करने और उनके कर्तव्यों को परिभाषित करने की शक्ति होगी। इन कार्यों के निर्वहन में प्रबंधन-परिषद को इस संबंध में सरकार की नीति द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

संस्थानों के प्रधान निदेशक/कार्यकारी निदेशक की शक्तियां

50. प्रधान निदेशक और कार्यकारी निदेशक संस्थान में सोसाइटी के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्यों को निर्धारित करेंगे और इन नियमों और उप-नियमों के अधीन ऐसे पर्यवेक्षण और अनुशासनात्मक नियंत्रण का प्रयोग करेंगे, जो आवश्यक हो।

51. प्रधान निदेशक और कार्यकारी निदेशक सोसाइटी के संस्थानों के सभी प्रशिक्षण और अन्य गतिविधियों का समन्वय और सामान्य पर्यवेक्षण करेंगे।

52. प्रधान निदेशक और कार्यकारी निदेशक महानिदेशक के निर्देश, अधीक्षण और नियंत्रण के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

सोसाइटी की निधियां

53. सोसाइटी की निधियों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

i) सोसाइटी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदान।
ii) अन्य स्रोतों से योगदान
iii) निवेश से आय
iv) अन्य स्रोतों से सोसाइटी की प्राप्तियां

54. सोसाइटी का बैंकर भारतीय स्टेट बैंक होगा। सभी धनराशि का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक में सोसाइटी के खाते में किया जाएगा और ऐसे अधिकारी या अधिकारियों, जिन्हें इस संबंध में विधिवत अधिकार दिया गया है, द्वारा हस्ताक्षरित चेक के बिना धनराशि की निकासी नहीं होगी।

लेखा और लेखापरीक्षा

55. सोसाइटी उचित खाते और अन्य प्रासंगिक अभिलेख बनाए रखेगी तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में बैलेंस शीट सहित खातों का वार्षिक विवरण तैयार करेगी।

56. सोसाइटी के लेखों की लेखापरीक्षा प्रतिवर्ष भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी, जो इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एक प्राधिकरण है तथा सोसाइटी के खातों की लेखापरीक्षा के संबंध में किया गया कोई भी व्यय सोसाइटी द्वारा देय होगा।

57. सोसाइटी के लेखे, लेखापरीक्षा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित, तथा उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ, प्रतिवर्ष भारत सरकार को भेजे जाएंगे तथा सरकार उन्हें संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

वार्षिक रिपोर्ट

58. सोसाइटी की कार्यवाही और वर्ष के दौरान किए गए सभी कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट भारत सरकार और सोसाइटी की जानकारी के लिए शासी परिषद द्वारा तैयार की जाएगी। सोसाइटी की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों का एक मसौदा सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक में उसके विचार और अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। सोसाइटी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों की प्रतियां सोसाइटी के सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएंगी।

सोसाइटी के उद्देश्य में परिवर्तन या विस्तार

59. भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के अधीन रहते हुए, सोसाइटी के अध्यक्ष उस उद्देश्य को परिवर्तित या विस्तारित कर सकते हैं, जिसके लिए इसकी स्थापना की गई है -

क) यदि शासी परिषद् उपरोक्त परिवर्तन या विस्तार के लिए एक लिखित या मुद्रित रिपोर्ट में सोसाइटी के सदस्यों को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

ख) यदि शासी परिषद उक्त प्रस्ताव पर विचार करने के लिए नियमों और विनियमों के अनुसार सोसाइटी के सदस्यों की विशेष आम बैठक बुलाएगी।

(ग) यदि ऐसी रिपोर्ट सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को पूर्वोक्त विशेष आम बैठक से 14 दिन पहले वितरित या डाक द्वारा भेज दी जाए।

(घ) यदि इस तरह के प्रस्ताव पर ऐसी आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से दिए गए सोसाइटी के सदस्यों के पांच-तीन के बहुमत से सहमति हो जाती है।

(ङ) यदि ऐसे प्रस्ताव को प्रथम बैठक के बाद एक माह के अंतराल पर शासी परिषद द्वारा बुलाई गई दूसरी विशेष आम बैठक में उपस्थित सोसाइटी के सदस्यों के पांच-तीन के बहुमत द्वारा पुष्टि कर दी जाए।

नियमों में परिवर्तन

60. सोसाइटी के नियमों और विनियमों तथा उनमें किसी भी संशोधन को लागू करने से पहले भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने से पहले सोसाइटी के रजिस्ट्रार से परामर्श किया जा सकता है। नियम '59' को छोड़कर उक्त नियमों और विनियमों में किसी भी समय भारत सरकार की स्वीकृति से सोसाइटी के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, जिसे इस उद्देश्य के लिए बुलाया गया है।

61. क) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 की धारा '4' के अनुपालन में प्रत्येक वर्ष शासी परिषद के सदस्यों की सूची सोसाइटी रजिस्ट्रार के पास दाखिल की जाएगी।

(ख) सोसाइटी अपने अध्यक्ष के नाम पर अभियोग चला सकती है/या उन पर अभियोग चलाया जा सकता है।

(ग) सोसाइटी को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 13 और 14 के अनुसार भंग भी किया जा सकता है।

62. बैलेंस शीट और अन्य वार्षिक रिटर्न सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के प्रावधानों के अनुसार सोसाइटी रजिस्ट्रार के पास दाखिल किए जाएंगे।

63. जिन विषयों और तथ्यों के लिए ऊपर विशेष रूप से प्रावधान नहीं किया गया है, उनके लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधान लागू होंगे।

xxxxxx